भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2929

जिसका उत्तर 05.12.2019 को दिया जाना है

ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग स्कूल

2929. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में ड्राइविंग स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता के क्रियान्वयन के कारण हरियाणा के केवल नूहं जिले में 50 हजार ड्राइवर अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लाइसेंसों को नवीकरण हेतु समर्थ बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहन चालकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, सड़क और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार करने और सड़कों पर समग्र गतिशीलता को मजबूत करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। कोई भी इकाई जैसे कि राज्य उपक्रम/एनजीओ/ट्रस्ट/सहकारी समिति/वाहन निर्माता/फर्म आदि अर्थात राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत पंजीकृत कोई भी वैध इकाई योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) और (घ): केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (सीएमवीआर) के प्रावधानों का कार्यान्वयन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य परिवहन विभागों के कार्यक्षेत्र में आता है। हाल ही में संसद में पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 1 सितंबर, 2019 से अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार, परिवहन मोटर यान चालन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटा दिया गया है। मंत्रालय ने सा.का.नि. 681 (अ) दिनांकित 23.09.2019 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम को हटाने को अधिसूचित किया है, जिसमें एक परिवहन वाहन को चलाने के लिए नयूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा, ड्राइविंग एक कला है जो शैक्षिक योग्यता पर निर्भर नहीं है।

*****